भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1591
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में इस्पात परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

1591 श्री मानस रंजन मंगराजः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में वर्तमान में विकासाधीन या विकास हेतु विचाराधीन प्रमुख इस्पात संयंत्रों, विस्तार परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड इस्पात इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए ओडिशा को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल सहायता, अनुमोदन और नीतिगत प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ओडिशा में मूल्य संवर्धित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और इस्पात-संबंधी औद्योगिक गलियारों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ओडिशा में प्रमुख इस्पात उत्पादकों [एकीकृत इस्पात संयंत्र (आईएसपी)] की उत्पादन क्षमता 33.78 मिलियन टन है और अन्य इस्पात उत्पादकों की उत्पादन क्षमता 6.15 मिलियन टन है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार ओडिशा सहित भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। उत्पादन, निवेश, आधुनिकीकरण, रोजगार, आयात आदि जैसे निर्णय बाजार की स्थितियों और अलग-अलग कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर निर्भर करते हैं।

सरकार ने ओडिशा सहित भारत में मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को प्रोत्साहित करने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

2. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना प्रारंभ करना।

3. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

4. उद्योग, उपभोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना, जिससे घरेलू बाजार के साथ-साथ आयात में भी घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा है।

******